Seventeenth Loksabha

>

Title: Request to fill up the vacancies of AMU Court by internal election.

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू उठाने का मौका दिया है । तकरीबन पूरे दो साल होने जा रहे हैं जबकि देश के विभिन्न विश्वविद्यालय बंद पड़े हैं । स्कूल्स भी खुल गए, सब चीज़ें खुल गईं, लेकिन देश में यूनिवर्सिटीज़ नहीं खोली जा रही हैं । खास तौर से मैं उन दो विश्वविद्यालयों की बात करुंगा, जिनका मैं इस लोक सभा के माध्यम से कोर्ट का मेंबर हूँ । जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी । दोनों विश्वविद्यलाय अभी तक नहीं खोली जा रही हैं । यह जनरेशन बहुत पीछे छूट जाएगी, अगर यूनिवर्सिटीज़ समय से नहीं खोली गईं । दूसरा, अलीगढ़ में जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होता है, उसकी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक्ट के माध्यम से है । उस एक्ट में यह है कि जो कोर्ट होगा, वह पांच नाम रिक्मेंड करता है और उसके बाद ईसी तीन नाम रिक्मेंड करती है । उसके बाद माननीय राष्ट्रपति जी उसमें से एक टिक करते हैं ।

ए.एम.यू. कोर्ट में 50 प्रतिशत से ज्यादा वैकेन्सीज हैं और वह प्रक्रिया छ: महीने पहले ही शुरू हो जानी चाहिए । मौजूदा वाइस चांसलर का टर्म मुश्किल से तीन या साढ़े तीन महीने ही बचा है ।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसे सैबोटाज न करें और यह निर्देश दें कि ए.एम.यू. कोर्ट की जो वैकेन्सीज हैं, उनका इन्टर्नल इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए ।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी - उपस्थित नहीं ।

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती - उपस्थित नहीं ।